

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक--प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)--03/2025

18 (951)

खाद्य, पटना/दिनांक.21-7-2025

प्रेषक,

मो0 नैय्यर इकबाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग--पटना, दरभंगा, सीवान, अररिया, गया, भागलपुर, मधेपुरा, भोजपुर (आरा), लखीसराय, रोहतास, गोपालगंज, बक्सर, अरवल, मंगेर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), सहरसा एवं सीतामढ़ी।

विषय:- मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) मांग सं0-18 विपत्र कोड 18-3456000010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कुल 3,00,11,100/- (तीन करोड़ ग्यारह हजार एक सौ) रुपये का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक-235/वि0 दिनांक-01.04.2025 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका 'क' एवं 'ख' के अनुसार मदवार कुल 3,00,11,100/- (तीन करोड़ ग्यारह हजार एक सौ) रुपये कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :-

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	01 वेतन	17,09,860,00	1,29,49,100
		02 विशेष वेतन	68,49,000	10,10,000
		03 जीवन यापन भत्ता	12,12,78,000	84,44,000
		04 मकान किराया भत्ता	2,43,36,000	9,65,000
		05 परिवहन भत्ता	66,55,000	2,97,000
		06 चिकित्सा भत्ता	24,48,000	2,89,000
		07 अन्य भत्ता	27,90,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.01-वेतन		33,53,42,000	2,39,54,100
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,50,000	00
	योग- 18-3456.00.001.0003.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		8,50,000	00
3	11 यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	40,00,000	1,70,000
	योग- 18-3456.00.001.0003.11-यात्रा व्यय		40,00,000	1,70,000
4	13 कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	37,00,000	3,65,000
		02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	9,50,000	00
		03 दूरभाष	18,00,000	00
		04 विद्युत प्रभार	18,00,000	50,000
		05 विधि प्रभार	5,00,000	00
		06 वर्दी/पोशाक	00	00

		07 विद्युत प्रभार डी0पी0एस0	4,00,000	00
		10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	5,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.13-कार्यालयी व्यय		97,00,000	4,15,000
05	14 किराया दरें और कर	01 किराया महसूल एवं कर	4,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.14-किराया दरें और कर		4,00,000	00
06	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,000	00
		03 प्रशिक्षण व्यय	8,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		8,75,000	00
07	21 सामग्री और आपूर्ति	01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	41,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.21-सामग्री और आपूर्ति		41,000	00
08	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	65,00,000	1,00,000
	योग-18-3456.00.001.0003.26-विज्ञापन और प्रकाशन		65,00,000	1,00,000
09	28-व्यावसायिक सेवाये	02 संविदा सेवाये	4,30,00,000	53,72,000
	योग-18-3456.00.001.0003.28 व्यवसायिक सेवाये		4,30,00,000	53,72,000
10	51 मोटर वाहन	01 मोटरगाड़ी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.51-मोटर वाहन		1,000	00
11	52 मशीनें एवं उपस्कर	02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.52-मशीनें एवं उपस्कर		1,000	00
	कुल योग-18-3456.00.001.0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)		40,07,10,000	3,00,11,100

2. कुल 3,00,11,100 /- (तीन करोड़ ग्यारह हजार एक सौ) रुपये का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी 'क' एवं 'ख' में निम्नवत् है :-

: क :

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, दरभंगा	10000	10000	500000	10000	10000	10000	00	550000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, सीवान	3000000	200000	1600000	150000	20000	35000	00	5005000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, अररिया	300000	50000	150000	25000	10000	15000	00	550000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, गया	1100000	100000	800000	75000	25000	25000	00	2125000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, भागलपुर	750000	50000	250000	80000	25000	25000	00	1180000
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, मधेपुरा	539100	50000	1019000	50000	10000	5000	00	1673100
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, भोजपुर (आरा)	1550000	50000	750000	150000	60000	30000	00	2590000
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, लखीसराय	150000	50000	150000	50000	20000	30000	00	450000
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, रोहतास	750000	50000	350000	100000	25000	30000	00	1305000
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, गोपालगंज	1500000	100000	900000	100000	30000	24000	00	2654000
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बक्सर	1100000	100000	700000	50000	25000	25000	00	2000000
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, अरवल	1500000	100000	900000	100000	27000	20000	00	2647000
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, मुंगेर	700000	100000	375000	25000	10000	15000	00	1225000
	कुल योग:-	12949100	1010000	8444000	965000	297000	289000	00	23954100

dm

: ख :

क्र	जिला कार्यालय का नाम	विज्ञापन और प्रकाशन	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	संविदा सेवाएँ	कुल
1	2	3	4	5	7	8	9
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना	0	0	150000	0	0	150000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दरभंगा	0	0	50000	0	1010000	1060000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीवान	0	70000	40000	0	1000000	1110000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गया	0		0	0	251000	251000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मधेपुरा	0	50000	50000	50000	450000	600000
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोजपुर (आरा)	0	0	0	0	500000	500000
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रोहतास	0	0	0	0	570000	570000
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीतामढ़ी	0	50000	75000	0	0	125000
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहरसा	0	0	0	0	40000	40000
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मोतिहारी	0	0	0	0	561000	561000
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुंगेर	100000	0	0	0	0	100000
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोपालगंज	0	0	0	0	234000	234000
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अरवल	0	0	0	0	450000	450000
14	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बक्सर	0	0	0	0	306000	306000
कुल :-		100000	170000	365000	50000	5372000	6057000

- राशि की निकासी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्षों द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय व्यावसायिक सेवाएँ अन्तर्गत संविदा सेवाएँ मद से देय होगी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय की राशि इस आवंटन में सम्मिलित है।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाले पूर्ण व्यय का आकलन करते हुए पूर्व में प्रेषित विभागीय पत्र के आलोक में दिये जा रहे आवंटन के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ इकाईवार विस्तृत विवरणी सहित राशि की अधियाचना उपलब्ध करायी जाय।
- इस आवंटन में सदस्यों के मानदेय की राशि भी सम्मिलित है।
- इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही नियमतः भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 18

खाद्य, पटना/दिनांक 21-7-2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 21/7/25

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 18 (बजट)

खाद्य, पटना/दिनांक 21-7-2025

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 18 (बजट)

खाद्य, पटना/दिनांक 21-7-2025

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 02 एवं 05/सचिव कोषागार, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,